न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 148/2019
GCMS NO. : 2019/00160

-:: वादी :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

1. मनोज पुत्र रूपा जाति- नायक निवासी पारासरा तहसील- नागौर जिला नागौर राज0 के जरिये रजिस्टर्ड आम मुख्तयारधारक गुमानराम पुत्र खंगारराम जाति देवीसी निवासी ग्राम बस्सी (आ0कालू)

1. उगरा राम पुत्र मोडाराम
2. दीनाराम पुत्र मोडाराम
3. सुमेरराम पुत्र मोडाराम
4. जगदीश पुत्र मोडाराम
5. गजेन्द्र कुमार रिया पुत्र हरजीराम
6. जसा पुत्र रूगा
   जातियान- मेघवाल निवासीगण आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली।
7. नर्बदा देवी पत्नी बाबूलाल जाति गुरूडा
8. बाबूलाल पुत्र मोहनलाल जाति गुरूडा निवासीगण आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
9. दिलीप कुमार रिया पुत्र हरजीराम जाति मेघवाल निवासी आ0 कालू तहसील- जैतारण जिला पाली राज0।
10. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज0
11. दिनेश पुत्र पीरताराम
12. पीरताराम पुत्र मुगनाराम
    जातियान मेघवाल निवासीगण प्रतापपुरा तहसील जैतारण जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.16.07.2019

उपस्थित:- 1. श्री किशोर कुमार कुमावत, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: संशोधित निर्णय ::- दिनॉक:- 15/11/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaska
Date: 2022.01.24 16:43:28
Reason: SelfAttested

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई नि... अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के त... इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम आ0कालू द्वितीय पटवार हल्का आ0का... द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली ... वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे क... की कृषि भमि खसरा नम्बर 566 रकबा 39-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। जिसमे वादी संख्या एक का सम्पूर्ण भूमि के 1/4 हिस्से मे से 140/199 वां हिस्सा का 1/3 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार मौके पर वादी काबिज होकर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

काश्त करता चला आ रहा है। जिसकी जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है, जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादी को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा रहते है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादी अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नही ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकता एवं अनेकों प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयो तथा रागस्याओ का समना करना पड़ता है, इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से यंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 15.07.2019 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते एवं वादी को उसके करने काश्त से बेदखल कर देगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों मे कामयाब हो जाते है एवं वादी को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं यादी अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारी तथा खातेदारी कवजे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगे तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढ़ेगी। जिससे चादी खर्च से और बार हो जायेगे। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र वाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान जी के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया, जो सा0मि0 है। प्रतिवादी संख्या 05, 7 से 09 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की [illegible] पेश गई। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से वकालतनामा एवं काउ[illegible] में किया जो सा0मि0 मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 0[illegible] जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार भूमि मौजा [illegible] कालू द्वितीय) तहसील जैतारण जिला पाली (राज0) में स्थित होने के कथन सही होने से स्वीकार है साथ ही इस भूमि में वादी का जो हक हिस्सा दर्शाया ग[illegible]है। उक्त हक हिस्से के तथ्यो को वादी स्वयं साबित करे। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद आसत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 02 मे वर्णित कथन असत्य होने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 16:43:28 IST
Reason: SelfAttested

अस्वीकार है। उक्त भूमि पक्षकारो के बीच वर्षो पूर्व से अलग अलग बंटी हुई है। जिसका नये सिरे से बंटवाडा करवाया जाने की कोई आवश्यकता नही है। न ही भूमि के नाप चौप व सीगा को लेकर कोई विवाद है मौके पर वादी मनोज का कभी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही तो कभी रहा है। न ही वर्तमान में है। बल्कि वादी मनोज के नाम से तृतीय व्यक्ति ने बेनामी व केवल कागजो में हस्तान्तरण का दस्तावेज तैयार करवाया है। जो कतई गलत है वास्तविकता में इस भूमि से वादी मनोज का कोई सम्बन्ध नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त भूमि पक्षकारो के बीच वर्षो पूर्व से अलग अलग बंटी हुई है। जिसका नये सिरे से बंटवाड़ा करवाया जाने की कोई आवश्यकता नही है। न ही भूमि के नाप चौप व सीमा को लेकर कोई विवाद है मौके पर वादी मनोज का कभी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही तो कभी रहा है। न ही वर्तमान में है। दिनांक 15.07.2019 को मौके पर पक्षकारो के बीच विवाद होने एवं बंटवाड़े बाबत वार्तालाप करने के कथन भी कतई गलत है। बल्कि वादी मनोज के नाम से तृतीय व्यक्ति ने बेनामी व केवल कागजो में हस्तान्तरण का दस्तावेज तैयार करवाया है। जो कतई गलत है वास्तविकता में इस भूमि से वादी मनोज का कोई सम्बन्ध नही है। इसलिए वादी मनोज को इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का अधिकार होने एवं मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद होने तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होने के कथन भी कतई गलत है। वादी मनोज ने वादपत्र पेश करने की गरज से झूठे तथ्यो का समावेश किया है जो कतई गलत है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने में अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 04 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त भूमि पक्षकारो के बीच वर्षो पूर्व से अलग अलग बंटी हुई है। जिसका नये सिरे से बंटवाड़ा करवाया जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न ही भूमि के नाप चौप व सीमा को लेकर कोई विवाद है मौके पर वादी मनोज का कभी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही तो कभी रहा है। इसलिए वादी मनोज को इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का अधिकार होने एवं मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद होने तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होने के कथन भी कतई गलत है। वादी मनोज ने वादपत्र पेश करने की गरज से झूठे तथ्यो का समावेश किया है जो कतई गलत है। इस प्रकार से वादी के पक्ष में किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन होने के कथन भी कतई गलत है। मल्टीपिसीटी अ०फ प्रोसिडिंग्स होने के कथन भी कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 05 में वर्णित पद कानूनी है। जो काबिल गौर अदालत के है। वादपत्र के पद संख्या 06 में वर्णित बिनाय वाद कतई असत्य झूठा व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 07 जो कि मालियत बाबत होने से काबिल [illegible] के है। वादपत्र के पद संख्या 08 में वर्णित इस्तदुआ वादी कतई असत्य झूठी व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस वादपत्र में चाहे अनुसार वादी बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से वादी का वादपत्र काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें। खर्चा मुकदमा प्रतिवादी को वादी से दिलाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 16:43:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (पाली)

जावें। अन्य कोई अनुतोष जो प्रतिवादी पाने का अधिकार हो उसे दिलाया जावें। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से काउन्टर क्लेम में जाहिर किया कि वादी/प्रतिवादी 11 व 12 का भी राजस्व रेकर्ड में हक-हिस्से अनुसार नाप-चौप कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवाड़ा करने की इस्तदुआं की। इस प्रकार अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के पक्षकारान् में बंटवाड़ा करने की इस्तदुआं की। वादी i का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ, जो सा0मि0 है। सहमति स्वरूप अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपने अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर किये। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, जवाब दावा व काउन्टर क्लेम इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा आ0कालू द्वितीय सम्वत् 2074-2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 566 रकबा 39-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04, 06, 11 व 12 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम आ0कालू द्वितीय पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षकं क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 566 रकबा 39-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/971 दिनांक 25/10/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/233 दिनांक 26/10/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस [illegible] रिपोर्ट वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक [illegible] /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 16:43:28 IST
Reason: SelfAttested

-:: संशोधित आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम आ0कालू द्वितीय पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 566 रकबा 39-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	रेखाराम पुत्र लादूराम कौम- मेघवाल सा. देह खातेदार	566/4	0.3582	बा0 अ0	1.37
2	दिनेश पुत्र पिरताराम कौम- मेघवाल सा. देह खातेदार	566/5	0.3582	बा0 अ0	1.37
3	इन्द्रा पत्नी पुखराज हि. 1/3, पुखराज पुत्र माधुराम हि. 1/3, श्यामलाल पुत्र माधुराम हि. 1/3 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	566/6	0.3582	बा0 अ0	1.37
4	जसाराम पुत्र रूगाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	566/2	1.3741	बा0 अ0	5.26
5	गजेन्द्र कुमार रिया पुत्र हरजीराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	566/7	0.2994	बा0 अ0	1.15
6	रामदेव पुत्र कालूराम हि. 3071/33626 कौम मेघवाल सा. खाखड़की, नर्बदा पत्नी बाबूलाल हि. 5182/16813, बाबूलाल पुत्र मोहनलाल हि. 3379/33626 कौम गुरुड़ा सा. देह खातेदार, दिलीप कुमार पुत्र हरजीराम मेघवाल हि. 1535/33626 सा. देह खातेदार, रामप्यारी पत्नी पोकरराम जाट हि. 4529/33626, पाबुराम पुत्र भालाराम माली हि. 5374/16813 सा. देह खातेदार।	566	1.0748	बा0 अ0	12.88
		566/3	1.3743	बा0 अ0	
		566/8	0.9135	बा0 अ0	
		03	3.3626	बा0 अ0	12.88

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/11/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:28 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण
बईजलास :– **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

–:: वादी :– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण :–**

1. मनोज पुत्र रूपा
जाति– नायक निवासी
पारासरा तहसील– नागौर
जिला नागौर राज0 के जरिये
रजिस्टर्ड आंम मुख्तयारधारक
गुमानराम पुत्र खंगारराम
जाति देवीसी निवासी ग्राम
बस्सी (आ0कालू)

1. उगरा राम पुत्र मोडाराम
2. दीनाराम पुत्र मोडाराम
3. सुमेरराम पुत्र मोडाराम
4. जगदीश पुत्र मोडाराम
5. गजेन्द्र कुमार रिया पुत्र हरजीराम
6. जसा पुत्र रूगा
   जातियान– मेघवाल निवासीगण
   आ0कालू तहसील जैतारण जिला
   पाली।
7. नर्बदा देवी पत्नी बाबूलाल जाति
   गुरूडा
8. बाबूलाल पुत्र मोहनलाल जाति
   गुरूडा निवासीगण आ0कालू
   तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
9. दिलीप कुमार रिया पुत्र हरजीराम
   जाति मेघवाल निवासी आ0 कालू
   तहसील– जैतारण जिला पाली
   राज0।
10. तहसीलदार जैतारण जिला पाली
    राज0
11. दिनेश पुत्र पीरताराम
12. पीरताराम पुत्र मुगनाराम
    जातियान मेघवाल निवासीगण
    प्रतापपुरा तहसील जैतारण जिला
    पाली राज0।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 148/2019

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई
निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 53,92ए**
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी
श्री किशोर कुमार कुमावत, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री
सुरेश चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है
कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध
प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम आ0कालू
[illegible] तहसील
द्वितीय पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय भू अभिलेख [illegible] काश्त
जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी [illegible]
की जमीन खसरा नम्बर 566 रकबा 39–16 बीघा [illegible] विभाजन
वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा [illegible]
निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 16:43:28 IST
Reason: SelfAttested

	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	रेखाराम पुत्र लादूराम कौम- मेघवाल सा. देह खातेदार	566/4	0.3582	बा0 अ0	1.37
2	दिनेश पुत्र पिरताराम कौम- मेघवाल सा. देह खातेदार	566/5	0.3582	बा0 अ0	1.37
3	इन्द्रा पत्नी पुखराज हि. 1/3, पुखराज पुत्र माधुराम हि. 1/3, श्यामलाल पुत्र माधुराम हि. 1/3 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	566/6	0.3582	बा0 अ0	1.37
4	जसाराम पुत्र रूगाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	566/2	1.3741	बा0 अ0	5.26
5	गजेन्द्र कुमार रिया पुत्र हरजीराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	566/7	0.2994	बा0 अ0	1.15
6	रामदेव पुत्र कालूराम हि. 3071/33626 कौम मेघवाल सा. खाखड़की, नर्बदा पत्नी बाबूलाल हि. 5182/16813, बाबूलाल पुत्र मोहनलाल हि. 3379/33626 कौम गुरुड़ा सा. देह खातेदार, दिलीप कुमार पुत्र हरजीराम मेघवाल हि. 1535/33626 सा. देह खातेदार, रामप्यारी पत्नी पोकरराम जाट हि. 4529/33626, पाबुराम पुत्र भालाराम माली हि. 5374/16813 सा. देह खातेदार।	566	1.0748	बा0 अ0	12.88
		566/3	1.3743	बा0 अ0	
		566/8	0.9135	बा0 अ0	
		03	3.3626	बा0 अ0	12.88

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें । आज तारीख 15/11/2021 को जारी बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	01-00
महनताना वकील	–/–
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	05-00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–/–
मिजान:-	09-00

मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	03-00
स्टाम्प अर्जी	06-00
महनताना वकील	
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मुत्फरिक	
मिजान:-	09-00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaska
Date: 2022.01.24 16:43:2
Reason: SelfAttested